न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 10/2021 **दायरा दिनांक : 09.02.2021**

उनवान

जगन्नाथ पुत्र भैरू उर्फ भेरिया, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– मन्ना लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2– काली बाई विधवा पत्नी जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3– कमली बाई पत्नी अमरलाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/4– आजाद पुत्री जगन्नाथ पत्नी मोरपाल, जाति मीणा, निवासी खोयरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– जगदीश पुत्र नन्दा, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– मन्ना लाल पुत्र नन्दा, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– राजेश पुत्र नन्दा, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

4– भरोसी बाई पुत्री नन्दा पत्नी धनराज, जाति मीणा, निवासी हरिपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

5– ममता बाई पुत्री नन्दा पत्नी रामसिंह, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

6– ग्यारसी बाई विधवा पत्नी नन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– गीता बाई पुत्री नन्दा पत्नी चम्पालाल, जाति मीना, निवासी खण्डिया कालोनी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :30.06.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 12/2013 निर्णय दिनांक 21.01.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । ग्राम कोली पटवार हल्का गुलखेड़ी, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी सं. 51 पुरानी 45 की खसरा नं. 91 की 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 की 1 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं.

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

630/185 की 3 बीघा कुल 3 किता की 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी जगन्नाथ पुत्र भैरू खाते में दर्ज है । नन्दा पुत्र भैरू उर्फ भैरिया का पुत्र नहीं है क्योंकि नन्दा की मॉ दत्तू से भैरिया उर्फ भैरू ने नाता विवाह किया था, उस समय नन्दा उसकी माता दत्तू के साथ ग्राम जेंतली से गैलड आया था यानि की नन्दा का मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त आदेश जैर अपील पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । भैरिया उर्फ भैरू का केवल मात्र पुत्र जगन्नाथ जो कि अपीलांट का पिता है । अधीनस्थ न्यायालय की अपील का अवलोकन किया गया जिसमें नामान्तरकरण सं. 69 दिनांक 16.05.81 से मृतक भैरिया उर्फ भैरू के स्थान पर जगन्नाथ का नाम दर्ज किया गया, इस कारण से नन्दा के गैलड पुत्र होने के कारण ग्राम खोली की आराजी में उसका कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। इन्तकाल नम्बर 69 दिनांक 16.05.81 जो 30 वर्षों से भी अधिक पुराना दस्तावेज है इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार उक्त दस्तावेज की सत्यता पर शंका करने पर कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । रेस्पोडेंट के पिता नन्दा उसकी माता दत्तू के साथ ग्राम जेतली से उसकी माता द्वारा भैरू उर्फ भेरिया से नाता विवाह करने के कारण साथ में आया था । इसलिए नन्दा गैलड पुत्र है। इसका नोट इंतकाल नं. 254 दिनांक 15.09.63 की पुश्त पर नोट लगा हुआ है । जिस पर नन्दा गैलड की सहमति का अंगूठा लगा हुआ है । कानूनन जब नन्दा गैलड पुत्र को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में रेस्पोडेंट का कोई विधिक अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानूनन नहीं बनता है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.01.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन। अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा